वितीय दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम – आयोडिन डिफिसियेन्सि डिसऑडर प्रोग्राम
बजट/एफ0एम0आर0 शीष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – IEC/BCC Health Education & Publicity
बजट क्रम संख्या/एफ0एफआर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) - PARD-D.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राष्ट्रीय आयोडिन नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सभी उम्र एवं वर्ग के लोगों में आयोडिन की कमी से होनेवाली बीमारियों को दूर करना तथा सिर्फ आयोडिनयुक्त नमक के उपयोग हेतु समाज में जागरूकता लाना है।

ईकाई राशि रू0 में –

क्रम सं0	विवरणी	स्वीकत राशि (रूपये में)
1	आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा का संयुक्त उन्मुखीकरण एवं क्षमता विकास हेतु	(प्रत्येक प्रा0 स्वा0केन्द्र) 1,000.00
2	आईसीडीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य एवं आपूर्तिकर्ता के पदाधिकारियों के साथ जिलास्तरीय अंतरविभागीय संयुक्त बैठक	(प्रत्येक जिला) 4,000.00
3	श्रावणी मेला के दौरान जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु (केवल बांका एवं भागलपुर जिले के लिए) क्रमशः 9,000 एवं 5,000 रू0 मात्र।	(सिर्फ दो जिले) 14,000.00

वितीय दिशा–निर्देशन – राज्य के सभी जिलों में उपरोक्त विवरणी के अनुरूप राष्ट्रीय आयोडिन की कमी की रोकथाम हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन जिला से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक किया जाना है। उक्त राशि के अंतर्गत निम्न क्रियाकलाप भी सम्मिलित है –

- आयोडिन नमक के उपयोग हेतु समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना तथा इसकी उचित निगरानी करना है
- आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा का एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कर उनकी क्षमता विकास एवं उन्मुखीकरण करना है। ताकि वे अपने समुदाय स्तर पर जन–जन तक कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे एवं सिर्फ आयोडिनयुक्त नमक का ही सेवन करने का परामर्श देंगे । उक्त कार्यशाला का आयोजन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी की अध्यक्षता में संपादित किया जाना है ।
- सिर्फ बांका एवं भागलपुर जिले में श्रावणी मेला के दौरान आयोडिन जागरूकता कार्यक्रम हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- जिला स्तर पर अंतरविभागीय समन्वय स्थापित करना एवं जिला स्तर पर एक संयुक्त बैठक का आयोजन करना जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का दायित्व होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

क) खा) ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ0 एन0 के0 मिश्रा
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का फोन नं0– 9470003022